

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना

सं. 65 /2017-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा-(अ) .नि.का. सीमाशुल्क अधिनियम (52 का 1962) 1962की धारा के साथ पठनीय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 46 धारा 157, बोर्ड एतद द्वारा आगम बिल - में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है 1976 विनियम (फॉर्म्स)

1. (1)ये विनियम आगम बिल (फॉर्म्स) 2017 विनियम कहे जाएंगे।
ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे। (2)

2 आगम बिल में 1976 विनियम (फॉर्म्स), विनियम में शब्द 3, अंक, प्रकोष्ठ एवं अक्षर फॉर्म " I या फॉर्म II या फॉर्म III "के लिए निम्न शब्द, अंक, प्रकोष्ठ एवं अक्षर "फार्म I या फॉर्म II या फॉर्म III" का प्रयोग किया जाएगा।

"फॉर्म-I
(विनियम 3 देखें)

घरेलू उपभोग के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं.

पोर्ट कोड	एस=सी ए= एयर एल= लैंड	पूर्व आगम मोहर	आयात विभाग की क्र.सं. एवं तिथि	कस्टम्स हाउस एजेंट कोड	आयातकर्ता कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएएन आदि जो लागू हो)	आयातकर्ता का नाम एवं पता																	
जलयान का नाम	आवर्तन सं. दिनांक	लाइन सं.	नौवहन का पोर्ट	उदगम देश एवं कोड	प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड	लदान बिल दिनांक																	
पैकेट माल		मात्रा	सीमाशुल्क			अतिरिक्त शुल्क			आईजीएसटी														
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्या एँ	क्र. सं.	यूनिट कोड	भार/आय तन/सं ख्या आदि	विवरण ----- आरआई टीसी नं. (प्रत्येक -----)	सीमाशु ल्क टैरिफ का शीर्ष -----	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत	दर मूल ----- सहाय क	राशि मूल ----- सहाय क	सीईटी शीर्ष ----- छूट अधिसू	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनिय म	दर	एसए डी	कुल अतिरि क्त शुल्क	जीए सटी कोड	आईजी एसटी दर	आईजी एसटी से छूट का दावा	आईजी एसटी राशि (रु)	उपकर की दर पर जीएस	जीए सटी प्रतिपू र्ति उपक	जीएस टी प्रतिपू र्ति राशि	कुल शुल्क

आईटीसी लाइसेंस या सीसीपी नं. एवं दिनांक/पार्ट एवं क्र. सं./ओजीएल नं. छूट नं. एवं लाइसेंस को डेबिट किया गया मूल्य/सीसीपी (अधिकरण पत्र के मामले में, व्यक्ति का नाम जिसको जारी किया गया, सं. एवं दिनांक)

डेबिट पी.डी. खाता सं.

कलेक्शन फ्री नं. एवं दिनांक की मोहर

लाइसेंस(सों) पंजीकृत

लाइसेंस(सों) लेखापरीक्षा20..... किया हुआ

ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम हाउस एजेंट द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी

कस्टम हाउस एजेंट के हस्ताक्षर

घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम हाउस* एजेंट सहित 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैं.के बीजक सं.... दिनांक..... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।
या

कस्टम हाउस* एजेंट के बिना मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

4 मैं/हम आपूर्तिकर्ता/उत्पादक से निम्न रूप से संबन्धित नहीं हैं-

(a) एजेंट/वितरक/मांगकर्ता/शाखा/सहायक/कंसेसियनर तथा

(b) सहयोगी जो ट्रेड मार्क, पैटेंट या डिजाइन का प्रयोग करने का पात्र है

(c) अन्य किसी साधारण आयातकर्ता या क्रेता

5. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि बीजक तैयार करने के तरीके में तब से परिवर्तन नहीं हुआ है जब से कस्टम हाउस द्वारा पहले हमारी खाताबही और/या आपूर्तिकर्ता के साथ हमारे करार की जांच की गई थी।

आयातकर्ता के

हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़		में प्राप्ति की तिथि:
अतिक्रिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाय		
1. बीजक.....	मूल्यनिरूपक ग्रुप केन्द्रीय विनिमय यूनिट	
2. पैकिंग सूची.....	ट्रेड रिटर्न आई.ए.डी.	
3. बैंक ड्राफ्ट.....	सी.आर.ए.डी.एम.सी.डी. की रजिस्टर	
4. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी.....	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग	
5. लदान बिल.....		(केवल प्रतिलिपि पर)
6. आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट.....		सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ
7. उदगम प्रमाण पत्र.....		
8.		संगत अधिकारी
9.		
10.		(वास्तविक पदनाम इंगित करें)

फॉर्म-II
(विनियम 3 देखें)

भंडारण के लिए आगम बिल (आगम बिल विनियम 1976 का संदर्भ लें) लाइसेंस नं. .

पोर्ट कोड	एस = सी ए= एयर एल = लैंड	बॉन्ड क्र.सं. & दिनांक	आयात विभाग की क्र.सं. एवं दिनांक	कस्टम हाउस एजेंट कोड	आयातकर्ता कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएएन आदि जो लागू हो)	आयातकर्ता का नाम एवं पता चाहे सरकारी हो या निजी
जलयान का नाम	आवर्तन सं. दिनांक	लाइन सं.	नौवहन का पोर्ट	उदगम देश एवं कोड	प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड	लदान बिल दिनांक
पैकेट माल	मात्रा	सीमाशुल्क		अतिक्रिक्त शुल्क		आईजीएसटी

सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	यूनिट कोड	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण ----- आरआई टीसी नं. (प्रत्येक वर्ग का प्रथक रूप से विवरण दें)	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्ष ----- छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 तहत निर्धारणीय मूल्य (रु)	शुल्क के सहायक (रु)	राशि मूल सहायक (रु)	सीईटी शीर्ष ----- छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	प्रति यूनिट एमआरपी, यदि कोई हो तो	न्यूनीकरण की राशि, यदि कोई हो तो	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के उद्देश्य हेतु मूल्य	दर	एसए डी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएस टी कोड	आईजीएसटी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आईजीएसटी राशि (रु)	उपकरण की दर पर जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकरण से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकरण राशि कुल शुल्क	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12अ)	(12ब)	(13 अ)	(1 3 ब)	(1 4)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

क्र.सं. बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) भाड़ा बीमा मुद्रा विनिमय लदान/स्थानीय विविध कुल लदान निर्धारणीय (घोषणा पर कस्टम हाउस एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)
(एफओबी/सी&एफ/सी&आई /सीआईएफ) कोड सीमा एजेंसी कमीशन प्रभार मूल्य (रुपये में) 1. सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत नियुक्त/लाइसेन्सी सार्वजनिक/निजी गोदाम होने के

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)
..... आयात क्लर्क रुपए..... कुल
(पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

में)			कारण मैं/हम इस आगम बिल के तहत आवरित गोदाम.... में माल जमा करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन हूँ /करते हैं। 2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। 3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य, मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे। ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम हाउस एजेंट द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी
1			
2			
3			
4			
5			
कुल			
आईटीसी लाइसेंस या सीसीपी नं. एवं दिनांक/पार्ट एवं क्र. सं./ओजीएल नं. छूट नं. एवं लाइसेंस को डेबिट किया गया मूल्य/सीसीपी (अधिकरण पत्र के मामले में, व्यक्ति का नाम जिसको जारी किया गया, सं. एवं दिनांक)	डॉक से वास्तविक रूप से हटाने के कार्य के आरंभ से ... दिनो के अंदर भंडारण किया जाए	बॉन्ड नं.... एवं दिनांक.... के तहत पंजीकृत बॉन्ड अधीक्षक..... बॉन्ड क्लर्क.....	
लाइसेंस(सों) पंजीकृत	लाइसेंस(सों) लेखापरीक्षा किया हुआ	भंडारगृह में माल जमा करने की तिथि निवारक अधिकारी	
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, बॉन्ड विभाग		20.....कस्टम हाउस एजेंट के हस्ताक्षर

घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम्स हाउस*
एजेंट सहित

1.

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत नियुक्त/लाइसेन्सी सार्वजनिक/निजी गोदाम होने के कारण मैं/हम इस आगम बिल के तहत आवरित गोदाम.... में माल जमा करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन हूँ /करते हैं।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंके बीजक सं. दिनांक. एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

कस्टम्स हाउस* एजेंट के बिना 2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं. दिनांक. के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं. दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।

4. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

5. मैं/हम आपूर्तिकर्ता/उत्पादक से निम्न रूप से संबन्धित नहीं हैं-

(a) एजेंट/वितरक/मांगकर्ता/शाखा/सहायक/कंसेसियनर तथा

(b) सहयोगी जो ट्रेड मार्क, पेटेंट या डिजाइन का प्रयोग करने का पात्र है

(c) अन्य किसी साधारण आयातकर्ता या क्रेता

6. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि बीजक तैयार करने के तरीके में तब से परिवर्तन नहीं हुआ है जब से कस्टम हाउस द्वारा पहले हमारी खाताबही और/या आपूर्तिकर्ता के साथ हमारे करार की जांच की गई थी।

आयातकर्ता के

हस्ताक्षर.

पता.

*जो लागू न हो उसे काट दें

फॉर्म-III
(विनियम 3 देखें)

एक्स बॉन्ड निकासी के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं.

पोर्ट कोड	एस = सी ए= एयर एल = लैंड	पूर्व आगम मोहर	आयात विभाग की क्र.सं. एवं तिथि	कस्टम्स हाउस एजेंट कोड	आयातकर्ता कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएन आदि जो लागू हो)	आयातकर्ता का नाम एवं पता
-----------	--------------------------------	----------------	--------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------

जलयान का नाम		आवर्तन सं. दिनांक		लाइन सं.		नौवहन का पोर्ट		उदगम देश एवं कोड		प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड		लदान बिल दिनांक											
पैकेट		मात्रा		माल		सीमाशुल्क		अतिरिक्त शुल्क		आईजीएसटी													
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	यूनिट कोड	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण ----- आरआई टीसी नं. (प्रत्येक वर्ग के लिए) -----	सीमाशुल्क टेरिफ का शीर्षक -----	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (रु) कोड	दर मूल ----- सहायक (रु)	राशि मूल ----- सहायक (रु) कोड	सीईटी शीर्षक -----	सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत निर्धारणीय मूल्य (रु) कोड	दर	एसए डी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आईजीएसटी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु आधिसूचना नं. -----	आईजीएसटी राशि (रु)	उपकर की दर पर जीएसटी प्रतिपूर्ति से छूट का दावा करने हेतु आधिसूचना नं. -----	उपकर राशि पर जीएसटी प्रतिपूर्ति से छूट का दावा करने हेतु आधिसूचना नं. -----	कुल शुल्क	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		क्र. सं.	बीजक (एफओबी/सीआईएफ)	मूल्य (विदेशी मुद्रा)	शुल्क (रु)	सीमाशुल्क टेरिफ का शीर्षक	बीमा	मुद्रा कोड	(रु)	विनिमय सीमा	लदान प्रभार	राशि	विविध प्रभार		कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्देशांक	गोदाम का पता जहाँ माल रखा गया है	गोदाम का कोड	गोदाम का नाम एवं	गोदाम का नाम एवं	गोदाम का नाम एवं	

1
2
3
4
5
कुल

गोदाम में जमा करने की तिथि

गोदाम रजिस्टर..... में प्रविष्ट
पृष्ठ सं..... के तहत
मद सं.....

डैबिट पी.डी. खाता सं.

कलेक्शन की मोहर

घोषणा पर आयातकर्ता/कस्टम हाउस एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आगम बिल में दिया विवरण सत्य है।

गोदाम अधिकारी

गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करने की तिथि

गोदाम से माल निकालने की तिथि

2. मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अधीन सीमाशुल्क बंधुआ गोदाम से माल की निकासी हेतु अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)
..... आयात क्लर्क रुपए..... कुल
(पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)
आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़

अतिक्रिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाय		प्राप्ति की तिथि:	में
1. बीजक.....		बॉन्ड विभाग	
2. पैकिंग सूची.....		मूल्यनिरूपक ग्रुप	
3. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी.....		गोदाम अधिकारी केन्द्रीय विनिमय यूनिट	
4. उदगम प्रमाण पत्र.....		राजस्व पोस्टिंग	
5.			स्टेशन दिनांक-----20---
			आयातकर्ता के हस्ताक्षर कस्टम हाउस एजेंट
6.		सीआरएडी (केवल प्रतिलिपि पर)	
7.		एमसीडी की रजिस्टर सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ	
			संगत अधिकारी एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग

.सं.फा] 450/108/2017-कस-IV]

(जुबेर रियाज़)

निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट.प्रमुख विनियम अधिसूचना सं -39601 दिनांक (.टै.गै) सीयूएस-.08..के अंतर्गत प्रकाशित हुए थे जो अधिसूचना सं 197603/8814 दिनांक (.टै.गै) सीयूएस-.01.द्वारा जो 1988 30 कि आधिकारिक गज़ट मे प्रकाशित सांकांनि°)अ14 दिनांक (.01.द्वारा अधिक्रमित हुए थे परंतु अध 1988िसूचना सं.77/89 दिनांक 27.12.जो कि आधिकारिक गज़ट मे 1989 1067 प्रकाशित सांकांनि°)अ27 दिनांक (.12..द्वारा बहाल कर दिये गए और अंतिम बार अधिसूचना सं 198927/201731 दिनांक (.टै.गै) सीमा शुल्क-.03.जो कि 2017 324 आधिकारिक गज़ट मे प्रकाशित सांकांनि°)अ31 दिनांक (.03. द्वारा संशोधित किए गए थे। 2017